

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या :- 09/2013

प्रार्थी -

- 1- रामचन्द्र पुत्र श्री बद्रीदास साद
निवासी: ग्राम मोगड़ा कलां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी -

1. ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां, जरिये सरपंच, तहसील लूणी।
2. केवलराम पुत्रश्री भोलाराम पटेल।
3. बचनारामपुत्र भोलाराम के कायम मुकाम
 - 3/1 सीतादेवी पत्नि स्व०श्री बचनाराम पटेल निवासी मोगड़ाकला तहसील लूणी जिला जोधपुर।
 - 3/2 ओमाराम पुत्र स्व०श्री बचनाराम पटेल निवासी मोगड़ाकला तहसील लूणी जिला जोधपुर।
 - 3/3 दरिया पुत्री स्व०श्री बचनाराम पत्नि गोपाराम पटेल निवासी घीया की ढाणी, खाराबेरा भीमावतां तहसील लूणी जिला जोधपुर।
 - 3/4 प्रिया पुत्री स्व० बचनाराम भील।
 - 3/5 पुष्पा पुत्री स्व०श्री बचनाराम पटेल।
दोनों निवासी: मोगड़ाकलां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के क्रम सं. 4 व 5 नाबालिग जरिये कुदरती वालीया माता सीतादेवी पत्नि स्व० बचनाराम पटेल, त. लूणी. जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध पट्टा विलेख सं. 64 जो पत्रावली संख्या 64/99-2000 में ग्राम पंचायत मोगड़ाकलां द्वारा कार्यवाही करते हुए दि० 06.12.1999 को जारी किया गया।

उपस्थिति : -

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री एस.एम.परिहार, सिद्धार्थ परिहार व चन्द्रशेखर उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 2 व 3/2 की ओर से अभिभाषक श्री हनुमान प्रजापति।

—:: आदेश ::—

दिनांक: 21.05.2018

यह निगरानी इस न्यायालय के रिव्यू निगरानी संख्या 12/2015 निर्णय दिनांक 07.10.2016 स्वीकार किये जाने के कारण यह पत्रावली पुन नम्बर पर ली जाकर प्रकरण में नियमित सुनवाई प्रारंभ की गई।

यह पंचायत निगरानी प्राथी अभिभाषक द्वारा अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरुद्ध ग्राम पंचायत मोगड़ाकला द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक: 06.02.1999 को जारी किया गया है के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत मोगड़ाकला ने निगरानीधीन पट्टा जारी करने के

नियमों की कोई पालना नहीं की। उक्त पट्टा नियम 157 ख के तहत जारी किया गया। उक्त नियम के तहत यह पट्टा केवल 50वर्ष पूर्व निर्मित रहवासीय मकान का ही जारी किया जा सकता है। इस प्रकरण में जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है उस पर कोईमकान बना हुआ नहीं है बल्कि, खाली भूखण्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है व इस भूखण्ड के दक्षिण दिशा में स्थित प्रार्थी के भूखण्ड में से रास्ता निकालने का प्रयास किया तो प्रार्थी ने ऐतराज किया, तब अप्रार्थी ने पट्टे की फोटो कापी बनाने पर प्रार्थी को मालूम पड़ा कि मूल पट्टे में कांट छांट की गई है एवं बाद में रास्ता बताया गया है। इससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी अभिभाषक द्वारा यह पंचायत निगरानी प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2, 3/2 की ओर से अभिभाषकश्री हनुमान प्रजापति ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड व पत्रावली तलब किया जो प्राप्त हो गया है। उक्त प्रकरण विचाराधीन रहते अप्रार्थी सं. 3 का स्वर्गवास हो गया था। इसके वारिसान (कायम मुकाम) की सूचना प्राप्त कर उनको पक्षकार बनाया गया। इस प्रकरण में उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषकश्री सुगनमल परिहार ने अपनी बहस प्रारम्भ करते हुए प्रस्तुत पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में निगरानीधीन में पट्टा जारी करने में कानूनी भूल की गई है। उक्त पट्टा नियम 157 ख के तहत जारी किया गया है जबकि उक्त नियम के तहत तब ही जारी किया जा सकता है, अप्रार्थी का 50 वर्ष पूर्व निर्मित रहवासीय मकान का ही जारी किया जा सकता है। इस प्रकरण में जारी पट्टा के मामले में जो पट्टा जारी किया गया उस पर मकान बना हुआ ही नहीं है बल्कि खाली भूखण्ड है। इसकारण इसका पट्टा उक्त नियम के तहत जारी नहीं किया जा सकता है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि सरपंच ने अप्रार्थीगण के नाम पट्टा जारी कर पंचायत को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। 2362वर्गगज भूखण्ड का पट्टा केवल मात्र 200/- में जारी कर दिया जो किसी भी सुरत में जारी नहीं किया जा सकता है। बल्कि उक्त भूखण्ड केवल निलामी के जरिये ही हस्तांतरित किया जा सकता है। ग्राम पंचायत के कार्यालय में बैठकर छपे छपाये फार्मो पर खानापूति की गई है। प्रार्थी द्वारा नकल मांगने पर नकल भी उपलब्ध नहीं कराई है। पट्टा जारी करने की सारी कार्यवाही एक ही दिन में पुरी की गई है।

प्रार्थी अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि विवादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थीगण को कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा तथा आज दिन भी नहीं है। बिना कब्जे के कोई पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही में अप्रार्थीगण ने उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य शुरू करवाया व इस भूखण्ड को दक्षिण में स्थित प्रार्थी के भूखण्ड में से रास्ता निकालने का प्रयास किया तब अप्रार्थी ने पट्टे की फोटोकॉपी बताई तब मालूम हुआ कि मूल पट्टे में ही काट छांट की गई है एवं बाद में रास्ता बताया गया है। वर्ष 1999 में अप्रार्थी के नाम पट्टा जारी किया गया था, तो भूखण्ड के दक्षिण में कोई रास्ता दर्शाया हुआ नहीं था। क्योंकि इस भूखण्ड के पश्चिम में पहले से ही दूसरा रास्ता मौजूद था। अप्रार्थी सं. 2 की पत्नि ग्राम पंचायत की सरपंच बन गई, पट्टे की कार्बन

कापी पंचायत रेकॉर्ड में काट छांट की गई उसमें दक्षिण में 12 फुट का रास्ता दिखा दिया गया। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी सं. 2 व 3/2 के योग्य अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित पट्टा विलेख संख्या: 64 जो ग्राम पंचायत मोगड़ाकला की मिसल सं. 64/998-2000 के द्वारा जारी किया गया वह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों व नियमानुसार ही जारी किया गया। अप्रार्थी सं. 2 व 3/2 द्वारा ग्राम पंचायत को पुराना भूखण्ड के लिए निवेदन किया और ग्राम पंचायत ने अपनी बैठक कार्यवाही में प्रस्ताव पारित कर मौका निरीक्षण हेतु तीन सदस्यों की समिति बनाई गई और मौका निरीक्षण कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर जाहिर किया कि अप्रार्थी का पिछले 30 से अधिक वर्षों से कब्जा है। अस्थाई निर्माण किया हुआ है, आपत्ति हेतु सूचना जारी की जावे। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.09.1999 को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आम सूचना जारी की गई। ग्राम पंचायत ने अपनी बैठक कार्यवाही में प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थी को पट्टा जारी करने का निर्णय लिया। अतः प्रस्तुत पंचायत निगरानी आपसी रंजिश के कारण पेश की गई है। इसका प्रकरण में वास्तविक मुद्दा 12फुट रास्ता बाबत है। जिसका पक्षकारों के मध्य सिविल न्यायालय में आपसी राजीनामा भी हो गया है।

हमने उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम पंचायत मोगड़ा कला से विवादित भूखण्ड से सम्बंधित संधारित मूल रेकॉर्ड का भी अवलोकन किया।

इस प्रकरण में ग्राम पंचायत मोगड़ा कला द्वारा संधारित मूल पत्रावली 64/99-2000 जो केवलराम पुत्र भोलाराम पटेल निवासी मोगड़ा कला की संधारित की गई थी। उक्त पत्रावली इस न्यायालय के पंचायत निगरानी संख्या 09/2013 निर्णय दिनांक 10.07.2015 निर्णय के साथ इस न्यायालय के पत्रांक संख्या 848 दिनांक 27.08.2015 के द्वारा निर्णय अनुसार उक्त पत्रावली विकास अधिकारी पंचायत समिति लूणी को अपने रेकॉर्ड में रखने हेतु लौटाई गई। इस निगरानी में पुनः सुनवाई के वक्त उक्त पत्रावली संख्या 64/1999-2000 की आवश्यकता होने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति लूणी/पदेन सचिव/ग्राम सेवक मोगड़ा कला को बार-बार पत्राचार करने बावजूद भी पत्रावली उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस प्रकरण में मूल पट्टाबही जो पट्टा संख्या 64 व ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही रजिस्टर के आधार पर व पूर्व में निर्णय दिनांक 10.07.2015 के अध्ययन के पश्चात् इस प्रकरण में निम्न तथ्य प्रकट हुए।

विवादित भूखण्ड के लिए पट्टा विलेख पर केवलराम के ही आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर है, बचनाराम के हस्ताक्षर नहीं है। आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में पुराना कब्जा का पट्टा जारी करने का उल्लेख किया है।

एक अन्य प्रकरण 05/2013 पंचायत निगरानी के में ग्राम सेवक मोगड़ा कला द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक: 12.03.2014 में यह अवगत कराया गया है कि आज भी केवलराम, बचनाराम का भूखण्ड बताया। इससे स्पष्ट है कि विवादित पट्टा कब्जा सुदा भूखण्ड के बाबत दिनांक: 20.10.99 को जारी किया गया है। जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 157 (ख) अनुसार नहीं जारी किया गया।

पुराने भूखण्डों का नियमन का प्रावधान राज्य सरकार की सूचना दिनांक: 02.05.2007 द्वारा किया गया है। इस नियम के तहत 300वर्गगज तक भूखण्डों का नियमिति

करण केवल उसी शर्त पर किया जा सकता है कि आवेदक का कहीं अन्यत्र जगह, मकान नहीं हो परन्तु, यह नियम 157 (2) वर्ष 2007 में जोड़ा गया पट्टा वर्ष 1999 में जारी किया गया जो गैर कानूनी है।

मूल पट्टा का अवलोकन किया, विवादित पट्टे के पुष्ट पर जमीन का पड़ोस अंकित किया गया है, जिस पर भूखण्ड के दक्षिण में भाकरराम का भू खण्ड बताया गया है।

—:आदेश:—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत पंचायत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निगरानी पट्टा विलेख संख्या 64 दिनांक 06.12.99 जो ग्राम पंचायत मोगड़ाकला द्वारा जारी किया गया एतद निरस्त किया जाता है। विकास अधिकारी पंचायत समिति लूणी को निदेश है कि न्यायालय में निर्णय की पालना सुनिश्चित करे तथा इस प्रकरण से सम्बंधित मूल रेकर्ड अपने कार्यालय में सुरक्षित रखें।

पत्रावली से यह भी जाहिर हुआ कि अप्रार्थीगण का आवंटित भूखण्ड पर लम्बे समय से कब्जा है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार नियम 157 (2) वर्ष 2007 में जोड़ दिया गया है। जिसमें कब्जाधारी का अन्य आवासीय मकान ना होने की स्थिति में अधिकतम 300वर्ग गज की सीमा तक काबिज भूखण्ड के नियमन का प्रावधान किया गया है। अतः ग्राम पंचायत इस प्रावधान के अनुरूप अप्रार्थी द्वारा काबिज भूखण्ड का क्षेत्रफल अथवा 300 वर्गगज जो कम हो, के भूखण्ड का बाद जांच नियमों के अनुरूप पाये जाने पर नियम 157(2) के तहत आवंटित/नियमित करने हेतु स्वतंत्र होगी।

(छगनलाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक: **21.05.2018** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।